

"Inspection Report by DFO- Mandsaur (M.P.)"

Date - 19-8-2022

Proposal No - FP/MP/OFC/156036/2022

No.	Particular	Inspection Report By CCF/DFO (T)			
1.	Extent in hectares.	0.20 हेक्टेयर (04 कि०मी०)			
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	क. क्रमांक	प्रारंभिक जीपीएस	अंतिम जीपीएस	
		1 आर-995 996	N 24°41'13.0" - E 075°32'33.00"	N 24°42'28.11" - E 075°30'46.36"	
3.	Legal status of the forest land (protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land)	प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वनखण्ड एवं कक्ष:-			
		क्र.	गेमरेंज	वनखण्ड आरक्षित	कक्ष क्रमांक
		1	गांधीसागर पश्चिम	मेनपिछोर (आंशिक)	995,996
					प्रभावित रकबा हे० में
					0.20
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	सीमांकन का कार्य हो चुका है।			
5.	Any signs of encroachment.	प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।			
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	वनक्षेत्र में कोई वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।			
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	प्रस्तावित वनक्षेत्र का कुल रकबा 0.20 हे० में कोई बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष होना नहीं पाया गया है। वनभूमि 0.4 से भी कम घनत्व का होना पाया गया है।			
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी नहीं है। मात्र लोमड़ी, सियार, नीलगाय, लक्कड़बग्घा, खरगोश एवं अन्य प्रजाति के वन्यप्राणी देखे गये हैं।			
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	संरक्षित क्षेत्र होने से पशु चराई प्रतिबंधित हैं एवं वनक्षेत्र अभयारण्य गांधीसागर की निर्मित प्रचलित प्रबंध योजना अनुसार वन्यप्राणी सुरक्षा एवं संवर्धन कार्य क्षेत्र में शामिल हैं।			
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working Plan and, if not, why?	प्रस्तावित कार्य क्षेत्र अभयारण्य गांधीसागर की निर्मित प्रचलित प्रबंध योजना अनुसार वन्यप्राणी सुरक्षा एवं संवर्धन कार्य क्षेत्र में शामिल हैं।			
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्मारक एवं धार्मिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है।			
12.	Any dependent persons/ families on this land.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई व्यक्ति आश्रित नहीं है, ना ही कोई परिवार निवासरत है।			
13.	Any displacement of persons proposed.	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।			
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	प्रस्तावित योजना में कोई पुर्नवास योजना नहीं है, जिसमें व्यक्तियों/परिवारों को व्यवस्थापित नहीं किया जाना है।			
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of area for CA. If in the degraded forest land than what is the current Working plan prescription for the area Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of	आवश्यक नहीं।			

	patches in case the area should be more than to kms.	
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should' be more than 10 kms.	प्रस्तावित वनक्षेत्र वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र अभयारण्य गांधीसागर का भाग हैं
17.	Dependence of trials in the area. Whether the rights of the trials have been recognized, in this area.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में आस-पास के ग्रामीण आदिवासियों को आत्मनिर्भरता हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कोई भी वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किये गये एवं ना ही कोई वन अधिकार पत्र दावा लंबित है।
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Bhopal द्वारा आप्टिकल फाईबर केबल लाईन गेमरेंजर अभयारण्य गांधीसागर पश्चिम के वनक्षेत्र में डाली जाना हैं। जिसमें प्रभावित वनक्षेत्र न्यूनतम होने से तथा यह क्षेत्र 0.4 से भी कम घनत्व का होने से तथा क्षेत्र से लगे ग्रामों एवं अभयारण्य क्षेत्र के अंदर तथा बाहरी क्षेत्रों में संचार सुविधा सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।
19.	In case of renewal whether all the condition stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	—
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific project.	आवेदक संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।
21.	A certificate of user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	आवेदक संस्था द्वारा आप्टिकल फाईबर केबल लाईन डालने में प्रस्तावित क्षेत्र का न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग किया जावेगा।
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for while the forest land is being diverted is also not adversely affected.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में वृक्षों का विदोहन कार्य नहीं किया जाना है।
23.	Any other issue of significance.	—
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Bhopal द्वारा आप्टिकल फाईबर केबल लाईन गेमरेंजर अभयारण्य गांधीसागर पश्चिम के वनक्षेत्र रकबा 0.2 हे० (04 कि०मी०) में डाली जाना हैं। जिसमें प्रभावित वनक्षेत्र न्यूनतम होने से तथा यह क्षेत्र 0.4 से भी कम घनत्व का होने से तथा क्षेत्र से लगे ग्रामों एवं अभयारण्य क्षेत्र के अंदर तथा बाहरी क्षेत्रों में संचार सुविधा सुगमता से प्राप्त हो सकेगी। अतः प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।

Place : Mandsoor.

Date : 19/8/2022

Divisional Forest Officer
Mandsaur (Territorial) (M.P.)